राजस्व वाद संख्या 33 / 2025
नारायणराम बनाम सोनाराम वगैरा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 33 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025 / 92

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1.नारायणराम पुत्र ज्वाराराम<br>2.जगाराम पुत्र ज्वाराराम<br>3.मगाराम पुत्र ज्वाराराम<br>4.रूपाराम पुत्र ज्वाराराम<br>जाति मेघवाल निवासी मण्डली<br>तहसील कल्याणपुर | | 1.सोनाराम पुत्र ज्वाराराम<br>जाति मेघवाल निवासी मण्डली<br>तहसील कल्याणपुर<br>2.राजस्थान सरकार जरिए<br>तहसीलदार कल्याणपुर |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थिति**

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा।

## निर्णय

दिनांक— 28.01.2026

संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा मण्डली तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 591 रकबा 4.3251हैक्टेयर, खसरा संख्या 870 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा संख्या 871 रकबा 5.0080 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 11.7.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय—पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

**लिहाजा** वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मण्डली तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 591 रकबा 4.3251हैक्टेयर, खसरा संख्या 870 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा संख्या 871 रकबा 5.0080 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

| क्र. सं. | नाम खातेदारान | गांव का नाम | ख.सं. | क्षेत्रफल (हैक्ट.) | किस्म | वर्ण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जगाराम पुत्र ज्वाराराम हि. पूर्ण जाति मेगवाल सा. देह खातेदार | गण्डली | 591<br>871 | 1.081275<br>0.765345 | बा.अ.<br>बा.दो. | नीला |
| 2 | नारायणराम पुत्र ज्वाराराम हि. पूर्ण जाति मेगवाल सा. देह खातेदार | गण्डली | 871 | 1.86662 | बा.दो. | केसरिया |
| 3 | मगाराम पुत्र ज्वाराराम हि. पूर्ण जाति मेगवाल सा. देह खातेदार | गण्डली | 591<br>871 | 1.081275<br>0.765345 | बा.अ.<br>बा.दो. | हरा |
| 4 | सोनाराम पुत्र ज्वाराराम हि. पूर्ण जाति मेगवाल सा. देह खातेदार | गण्डली | 591<br>871 | 1.081275<br>0.765345 | बा.अ.<br>बा.दो. | पीला |
| 5 | रूपाराम पुत्र ज्वाराराम हि. पूर्ण जाति मेगवाल सा. देह खातेदार | गण्डली | 591<br>871 | 1.081275<br>0.765345 | बा.अ.<br>बा.दो. | गुलाबी |
| 6 | 1.मगाराम पुत्र ज्वाराराम हि. 1/5 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार<br>2.जगाराम पुत्र ज्वाराराम हि. 1/5 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार<br>3.सोनाराम पुत्र ज्वाराराम हि. 1/5 जाति मेगवाल<br>4.रूपाराम पुत्र ज्वाराराम हि. 1/5 जाति मेगवाल<br>5.नारायणराम पुत्र ज्वाराराम हि. 1/5 जाति मेगवाल | गण्डली | 870 | 0.0885 | गै.मु. ढाणी | लाल |

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

28/01/2026

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

28/01/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

# मूलवाद में अंतिम डिक्री

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

**पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.**

**राजस्व वाद संख्या :— 33/2025**

**जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/92**

| **वादीगण** | **बनाम** | **प्रतिवादी** |
|---|---|---|
| 1.नारायणराम पुत्र ज्वाराराम<br>2.जगाराम पुत्र ज्वाराराम<br>3.मगाराम पुत्र ज्वाराराम<br>4.रूपाराम पुत्र ज्वाराराम<br>जाति मेघवाल निवासी मण्डली<br>तहसील कल्याणपुर | | 1.सोनाराम पुत्र ज्वाराराम<br>जाति मेघवाल निवासी मण्डली<br>तहसील कल्याणपुर<br>2.राजस्थान सरकार जरिए<br>तहसीलदार कल्याणपुर |

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 33/2025

निर्णय दिनांक :—28.1.2026

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.1.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

28/01/2026

(अशोक कुमार)
**सहायक कलक्टर**
**(एस.डी.ओ.)बालोतरा**

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 33 / 2025
नारायणराम बनाम सोनाराम वगैरा

# वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादीगण | |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4..........रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6.कमिश्नर की फीस<br>7.आदेशिका की तामिल | रूपया<br>———— | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>2.अर्जी के लिए स्टाम्प<br>3.प्लीडर की फीस<br>4.साक्षियों के<br>लिए निर्वाह व्यय<br>5.आदेशिका की तामील<br>6.कमिश्नर की फीस | रूपया<br>———— |
| जोड़ | ——— | जोड़ | ———— |

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा